भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3167
दिनांक 06 अगस्त, 2021 को उत्तर के लिए

निर्भया योजना

3167. श्री प्रताप सिम्हा :
श्री बी.वाई.राघवेन्द्र :
श्री कृपानाथ मल्लाह :
श्रीमती जसकौर मीना :
श्री तेजस्वी सूर्या :
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले :
डॉ. उमेश जी. जाधव :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) निर्भया योजना/वन स्टॉप सेंटर की मुख्य विशेषताएं और इनके उद्देश्य क्या हैं और इसके तहत अब तक निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत आवंटित, स्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि का कर्नाटक, राजस्थान और असम सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इस योजना के तहत राज्यों को आवंटित राशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) योजना के तहत राजस्थान और असम सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने केंद्र स्थापित किए गए हैं; और
(ङ) क्या सरकार उक्त योजना के तहत ऐसे और केंद्र खोलने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये राजस्थान और असम सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कब तक चालू हो जाएंगे?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : भारत सरकार ने देश की महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाने के लिए लक्षित पहलों के कार्यान्वन के लिए 'निर्भया कोष' के नाम से एक समर्पित कोष की स्थापना की है। निर्भया फ्रेमवर्क के अंतर्गत गठित अधिकारियों की एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) संबंधित मंत्रालयों/विभागों / क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ निर्भया कोष के तहत वित्त पोषण के लिए प्रस्तावों का मूल्यांकन और सिफारिश करती है। अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा मूल्यांकन के बाद संबंधित मंत्रालय/ विभाग अपने संबंधित बजट में से निधियां जारी करने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर अनुमोदित परियोजना/ स्कीम को स्वयं या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों / कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित करते है।

निर्भया कोष के अंतर्गत पूरे देश में 'वन स्टॉप सेंटर' (ओएससी) नामक एक स्कीम 1 अप्रैल, 2015 से कार्यान्वित की गई है। ओएससी का लक्ष्य हिंसा की शिकार महिलाओं को एक छत के नीचे पुलिस की सुविधा, चिकित्सीय सहायता, कानूनी और मानसिक-सामाजिक परामर्श उपलब्ध कराने और अस्थायी आश्रय जैसी सेवाओं की एक समेकित सेवाओं की श्रृंखला प्रदान करना है। ओएससी की स्थापना किसी अस्पताल या चिकित्सीय सुविधा से दो किलोमीटर के दायरे मे अनुमादित डिजाइन के अनुसार नई निर्मित भवन या पहले से मौजूद भवन में की जाएगी। स्कीम के अंतर्गत, देश के सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की जा रही है। अब तक 704 वन स्टॉप सेंटर क्रियाशील है और इनके माध्यम से तीन लाख महिलाओं की मदद की गई है।

(ख) और (ग) : पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक, राजस्थान और असम सहित ओएससी स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(घ) **:** स्कीम के अंतर्गत राजस्थान और असम सहित राज्य/संघ राज्य वार स्थापित किए गए सेंटर की संख्या का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ड.) **:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने **'मिशन शक्ति'** नाम के तहत वन स्टॉप सेंटर के घटक सहित एक समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के रूप में महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण की अम्ब्रेला स्कीम को कार्यान्वित करने का निर्णय किया है। ओएससी में संतप्त और हिंसा की शिकार महिलाओं को त्वरित सहायता और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय ने ओएससी के लिए लागत प्रावधानों को बढ़ाने और निर्भया कोष के अंतर्गत और मिशन शक्ति के अंतर्गत पहलों सहित सरकार की अन्य पहलों के बीच और आगे तालमेल तथा समन्वय बढ़ाने के लिए जिला मुख्यालयों से दूर के क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर अधिक है उन क्षेत्रों में ओएससी की स्थापना करने का निर्णय किया है।

*****

अनुलग्नक -I

' निर्भया स्कीम' के संबंध में श्री प्रताप सिम्हा, श्री बी.वाई.राघवेन्द्र,श्री कृपानाथ मल्लाह,श्रीमती जसकौर मीना, श्री तेजस्वी सूर्या, श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले, डॉ. उमेश जी. जाधव द्वारा 06.08.2021 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3167 के भाग(ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान वन स्टॉप स्कीम(ओएससी) के अंतर्गत निर्मुक्त और उपयोग की गई निधियों का राज्य/ संघ राज्य वार विवरण

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त राशि			उपयोग
		2018-19	2019-20	2020-21	
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3687641	4159792	3859069	7990951
2	आंध्र प्रदेश	39063148	26099278	21105250	35143545
3	अरुणाचल प्रदेश	78202084	13418151	52014408	8811508
4	असम	78695087	80408520	63614400	15492697
5	बिहार	30832455	104609180	70966339	989813
6	चंडीगढ़	930799	1500450	3383756	2381249
7	छत्तीसगढ़	66244372	67738483	35320987	87736269
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	50000	7345503	4601200	306879
9	दिल्ली	0	36255258	18304950	8851903
10	गोवा	492000	1500450	3000900	392000
11	गुजरात	56269778	67951666	85084669	63336101
12	हरियाणा	47960546	40192416	40443694	42362758
13	हिमाचल प्रदेश	10118850	31729794	19805400	1703950
14	जम्मू और कश्मीर	15020425	9639473	22483933	7253204
15	झारखंड	70436941	40853107	69124908	35536694
16	कर्नाटक	59444419	58203580	73508758	17423208
17	केरल	28331849	14090453	23705850	8516076
18	लद्दाख-यूटी	0	0	6545042	2203172
19	लक्षद्वीप	0	2091225	1350225	0
20	मध्य प्रदेश	112391390	167092445	104431900	60519822
21	महाराष्ट्र	38929425	66998501	64620010	21344257
22	मणिपुर	35722445	24884407	50193815	20436592
23	मेघालय	18639947	37430224	21161595	9676467
24	मिजोरम	27264535	21870881	17263928	17065675
25	नागालैंड	45487024	19173411	33590577	42979808
26	ओडिशा	77459998	20934647	93155192	15005985
27	पुद्दुचेरी	4766836	4376136	7201800	0
28	पंजाब	52633488	35183739	48461272	33394192
29	राजस्थान	30860275	67711508	56686911	22738091
30	सिक्किम	3923225	6809569	6601800	123608
31	तमिलनाडु	113995447	71359691	106060397	117407585
32	तेलंगाना	58948915	62446827	77573415	30635786
33	त्रिपुरा	26901349	6001800	15603600	0
34	उत्तर प्रदेश	222830497	123193989	228832664	129811493
35	उत्तराखंड	27225409	22907445	27308659	30360381
36	पश्चिम बंगाल	0	9546450	19890150	0

'निर्भया स्कीम' के संबंध में श्री प्रताप सिम्हा, श्री बी.वाई.राघवेन्द्र,श्री कृपानाथ मल्लाह, श्रीमती जसकौर मीना, श्री तेजस्वी सूर्या, श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले, डॉ. उमेश जी. जाधव द्वारा 06.08.2021 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3167 के भाग(घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

स्कीम (आएससी) के अंतर्गत स्थापित केन्द्रों का राज्य/ संघ राज्य वार विवरण

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्थापित ओएससी की संख्या**
1.	अंडमान और निकोबार (यूटी)	03
2.	आंध्र प्रदेश	13
3.	अरुणाचल प्रदेश	24
4.	असम	33
5.	बिहार	38
6.	चंडीगढ़ (यूटी)	01
7.	छत्तीसगढ	27
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन तथा दीव (यूटी)	03
9.	दिल्ली (यूटी)	11
10.	गोवा	02
11.	गुजरात	33
12.	हरियाणा	22
13.	हिमाचल प्रदेश	12
14.	जम्मू और कश्मीर (यूटी)	20
15.	झारखंड	24
16.	कर्नाटक	30
17.	केरल	14
18.	लक्षद्वीप (यूटी)	01
19.	लद्दाख (यूटी)	02
20.	महाराष्ट्र	37
21.	मध्य प्रदेश	52
22.	मणिपुर	16
23.	मेघालय	11
24.	मिजोरम	08
25.	नागालैंड	11
26.	ओडिशा	30
27.	पंजाब	22
28.	पुद्दुचेरी (यूटी)	04
29.	राजस्थान	33
30.	सिक्किम	04
31.	तमिलनाडु	34
32.	तेलंगाना	33
33.	त्रिपुरा	08
34.	उत्तर प्रदेश	75
35.	उत्तराखंड	13
36.	पश्चिम बंगाल	00
	कुल	**704**